

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-1
संख्या-2752/9-1-2023-11 मेला/2009टी.सी.-1750969
लखनऊ: दिनांक: 16 नवम्बर, 2023

अधिसूचना

संयुक्त प्रान्त मेला अधिनियम, 1938 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 16 सन् 1938) की धारा 2 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल जिला बुलन्दशहर के अनूपशहर में प्रतिवर्ष कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी से मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष की पंचमी तक 10 दिनों के लिये आयोजित होने वाले 'कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेला' को प्रान्तीय मेला के रूप में घोषित करती हैं। पूर्वोक्त अधिनियम के समस्त उपबंध, नीचे अनुसूची में सविस्तार वर्णित क्षेत्र में उक्त अवधि के दौरान प्रवर्तित होंगे :-

अनुसूची


क्षेत्र का विवरण

उत्तर-पश्चिम - गंगा नदी की मुख्य धारा

दक्षिण-पश्चिम - अलीगढ़-अनूपशहर सड़क पर अचलपुर के बम्बा के पुल तक।

पूर्व - बाबा मस्तराम की समाधि तक।

पश्चिम - अनूपशहर-बुलन्दशहर सड़क पर स्थित गांधी शिक्षा निकेतन करनपुर खसरा संख्या-136 से मन्दिर छोटी देवी जी खसरा संख्या-66 जाफराबाद उर्फ गंगाबाद खादर तक।


(अमृता अभिजात)
प्रमुख सचिव।

संख्या- २७५२ (१)/९-१-२०२३, तद्दिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना (अंग्रेजी प्रारूप सहित) को दिनांक १६ नवम्बर, २०२३ के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट के भाग-४ खण्ड (ख) में प्रकाशित कराकर उसकी ५०-५० प्रतियाँ शासन को प्रेषित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,



(महावीर प्रसाद)

अनु सचिव।

संख्या- २७५२ (२)/९-१-२०२३, तद्दिनांक

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना की एक अंग्रेजी प्रारूप सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (१) मण्डलायुक्त मेरठ।
- (२) जिलाधिकारी, बुलन्दशहर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को एक स्थानीय समाचार पत्र और एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- (३) निदेशक, नगर निकाय, निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- (४) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, लखनऊ।
- (५) महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज।
- (६) नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
- (७) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(महावीर प्रसाद)

अनु सचिव।

**Uttar Pradesh Shasan
Nagar Vikas Anubhag-1**

The Governor is pleased to order the publication of following English translation of Notification no.2752/9-1-2023-11MELA/2009T.C.-1750969, dated: November 16, 2023 for the information general public.

NOTIFICATION

No-2752/9-1-2023-11MELA/2009T.C.-1750969

Lucknow-Dated: November 16, 2023

In exercise of the powers under section 2 of the United Provinces Mela Act, 1938 (U.P. Act no. 16 of 1938), the Governor is pleased to declare "Kartik Poornima Ganga Snan Mela", held for 10 days from Ekadashi of Shukla Paksha in the month of Kartik to Panchmi of Krishna Paksha in the month of Margshirsha every year in Anupshahr in District Bulandshahr, as a provincial mela. All the provisions of the aforesaid Act shall come into operation during the said period in the area detailed in the Schedule below:—

SCHEDULE

Details of the Area

North-West - Main stream of Ganga River,

South-West - Bamba's bridge of Achalpur at Aligarh-Anupshahr road,

East - Baba Mastram's grave,

West - From Gandhi Shiksha Niketan Karanpur Khasra No.136 to Chhoti Devi Ji Temple Khasra No.66 Jafrabad urf Gangabad Khadar at Anupshahr-Bulandshahr road.

By order,


(Amrit (Aphijat))
Pramukh Sachiv.